

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास/पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 19 मई, 2021

विषय:- दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रु0 1000/- की धनराशि प्रति माह भरण-पोषण भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

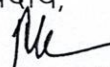
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-347/एक-11-2021-4(जी)/2015टी0सी0-2, दिनांक 18.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासन के उपर्युक्त संदर्भित आदेश दिनांक 18.05.2021 द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं पंजीकृत श्रमिकों, अन्य श्रमिकों, सभी पटरी, रेहड़ी दुकानदारों, रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों, नाविकों, कुली, पल्लेदारों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को धनराशि रु0 1000/- प्रति परिवार फिलहाल एक माह के लिए दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-2 में पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण, डाटा संकलन एवं वेबसाइट पर फीडिंग हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त जिला स्तरीय समिति में जिला पंचायतराज अधिकारी भी सदस्य रहेंगे तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से किसी अन्य अधिकारी को भी आवश्यकतानुसार समिति में विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं।

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.05.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
 19/5/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-348(1)/एक-11-2021 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
9. गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
 19/5/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।